रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235756
CG-DL-E-13052022-235756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944
No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

सा.का.नि. 353(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे तत्पश्चात दिनांक 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा संशोधित किया गया, के माध्यम से आरसीएस-उड़ान हवाईअड्डों या हेलिपोर्ट या वॉटर एयरोड्रोम से, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत, उड़ानों के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) या कार्गो प्रचालकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमानन टर्बाइन ईंधन पर, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई व्यवस्था के अनुसार, आरसीएस हवाईअड्डा/हेलिपोर्ट/वॉटर एयरोड्रोम का प्रचालन शुरू होने की तिथि से, तीन वर्षों की अवधि के लिए 2% उत्पाद शुल्क विनिर्दिष्ट किया है।

2. दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे तत्पश्चात दिनांक 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से संशोधित किया गया, के प्रयोजन के लिए आरसीएस उड़ानों द्वारा आरसीएस मार्गों के शुरू किए जाने की तिथि निम्नानुसार अधिसूचित की जाती हैं:

क्रम. सं.	**आरसीएस मार्ग के साथ आरसीएस हवाईअड्डे का नाम**	**आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्रचालन शुरू होने की तिथि**
1.	**गोंदिया (महाराष्ट्र)** इंदौर (मध्य प्रदेश) - गोंदिया (महाराष्ट्र) - इंदौर (मध्य प्रदेश)	13-03-2022
2.	**गोंदिया (महाराष्ट्र)** हैदराबाद (तेलंगाना) - गोंदिया (महाराष्ट्र) - हैदराबाद (तेलंगाना)	13-03-2022
3.	वाराणसी (उ० प्र०) - गोरखपुर (उ० प्र०) - वाराणसी (उ० प्र०)	27-03-2022
4.	प्रयागराज (उ० प्र०) - लखनऊ (उ० प्र०) - प्रयागराज (उ० प्र०)	27-03-2022

3. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 12/2017- केंद्रीय कर (दर), जिसे तत्पश्चात दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना सं. 2/18 - केंद्रीय कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था, के माध्यम से आरसीएस-उड़ान फ्लाइटों के शुरू होने की तिथि से प्रभावी, तीन वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस-उड़ान संस्करण 1.0, 2.0 तथा 3.0 के अंतर्गत प्रचालित की जाने वाली उड़ानों के लिए, चयनित एयरपोर्ट प्रचालकों (एसएओ) कों किए जाने वाले व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के वितरण पर, माल एवं सेवा कर की छूट प्रदान की है, जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

4. दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) तथा दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना सं. 2/18-केंद्रीय कर (दर) के प्रयोजन के लिए, आरसीएस उड़ानों द्वारा आरसीएस मार्गों के शुरू किए जाने की तिथि, निम्नानुसार अधिसूचित की है:

क्रम. सं.	**आरसीएस मार्ग वाले आरसीएस हवाईअड्डे का नाम**	**आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्रचालन शुरू होने की तिथि**
1.	**बेलगावी (कर्नाटक)** नागपुर (महाराष्ट्र) - बेलगावी (कर्नाटक) - नागपुर (महाराष्ट्र)	16-04-2022

5. उपर्युक्त के साथ, सा.का.नि. 207 (अ) दिनांक 16 मार्च, 2022 के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार की दिनांक 22 फरवरी, 2022 की अधिसूचना नागर विमानन मंत्रालय सं. एवी-13012/01/2019-डीटी (भाग-I) (आरसीएस) में पुनः निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, अर्थात :---

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3.1 में, क्रम सं. 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को, रखा जाएगा, अर्थात ---

क्रम. सं.	**आरसीएस मार्ग के साथ आरसीएस हवाईअड्डे का नाम**	**आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्रचालन शुरू होने की तिथि**
12.	**केशोद (गुजरात)** मुंबई (महाराष्ट्र) - केशोद (गुजरात) – मुंबई (महाराष्ट्र)	16-04-2022

[फा. सं. एवी-13012/01/2019-डीटी (भाग-I) (आरसीएस)]

उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2022

G.S.R. 353(E).—Government of India, Ministry of Finance, vide notification no. 11/2017-Central Excise, dated 30 June, 2017, subsequently amended vide notification no. 07/2019- Central Excise, dated 22 August, 2019 has specified 2% of Excise Duty on the Aviation Turbine Fuel drawn by Selected Airline Operators (SAOs) or cargo operators for Regional Connectivity Scheme (RCS) – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) flights from the RCS - UDAN Airports or Heliports or Water aerodromes for a period of three years from the date of commencement of operations of the RCS Airport/Heliport/Water Aerodrome as notified by the Ministry of Civil Aviation.

2. The dates of commencement of RCS routes by RCS flights for the purpose of notification no. 11/2017- Central Excise, dated 30 June, 2017, subsequently amended vide notification no. 07/2019- Central Excise, dated 22 August, 2019 are notified as under:

Sr. No.	Name of RCS Airport with RCS route	Date of Commencement of operations under RCS-UDAN
1.	**GONDIA (Maharashtra)** INDORE (Madhya Pradesh) - GONDIA (Maharashtra) - INDORE (Madhya Pradesh)	13-03-2022
2.	**GONDIA (Maharashtra)** HYDERABAD (Telangana) - GONDIA (Maharashtra) - HYDERABAD (Telangana)	13-03-2022
3.	VARANASI (UP) - GORAKHPUR (UP) - VARANASI (UP)	27-03-2022
4.	PRAYAGRAJ (UP) – LUCKNOW (UP) – PRAYAGRAJ (UP)	27-03-2022

3. Further, Government of India, Ministry of Finance, vide Notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated 28.06.2017, subsequently amended vide Notification No. 2/18-Central Tax (Rate) dated 25.01.2018 has granted Goods and Service Tax exemption on disbursement of Viability Gap Funding to SAOs for flights operated under RCS - UDAN version 1.0, 2.0 and 3.0; for a period of three years w.e.f. the date of commencement of RCS - UDAN flights, as notified by the Ministry of Civil Aviation from time to time.

4. The dates of commencement of RCS routes by RCS flights for the purpose of notifications no. 11/2017- Central Excise, dated 30 June, 2017, 07/2019- Central Excise, dated 22 August, 2019, 12/2017 - Central Tax (Rate), dated 28.06.2017, and 2/18-Central Tax (Rate) dated 25.01.2018 are notified as under:

Sr. No.	Name of RCS Airport with RCS route	Date of Commencement of operations under RCS-UDAN
1.	**BELAGAVI (Karnataka)** NAGPUR (Maharashtra) - BELAGAVI (Karnataka) - NAGPUR (Maharashtra)	16-04-2022

5. In addition to above, following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation no. AV-13012/01/2019-DT (Part-I)(RCS), dated 22nd February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 207(E) dated the 16th March, 2022, namely:---

In the said notification, in the para 3.1 , for serial no. 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely ---

Sr. No.	**Name of RCS Airport with RCS route**	**Date of Commencement of operations under RCS-UDAN**
12.	**KESHOD (Gujarat)** MUMBAI (Maharashtra) - KESHOD (Gujarat) - MUMBAI (Maharashtra)	16-04-2022

[F. No. AV-13012/01/2019-DT (Part-I) (RCS)]

USHA PADHEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.13 20:26:53 +05'30'